

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न योजनाएँ

क्रम सं०	योजना का नाम	अवधी	योजना का संक्षीप्त परिचय
01	जननी बाल सुरक्षा योजन	नियमित	इस योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है जिसके अंतर्गत आशा बहनों के द्वारा अपने गॉव के गर्भवती महिलाओं को सरकारी संस्थानों में नियमित रूप से लाया जाता है एवं प्रसव के उपरांत शहरी क्षेत्र के महिलाओं को 1000/- रूपये तथा ग्रामिण क्षेत्र की महिलाओं को 1400/- रूपये के प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जाता है। साथ ही साथ आशा बहनों को भी प्रोत्साहन के रूप में 600/- रूपये का भुगतान किया जाता है।
02	नियमित टीकाकरण	नियमित	इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाएँ, किशोरी बालिकाएँ एवं ० से ५ वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र पर नियमित टीकाकरण किया जाता है।
03	ग्रामिण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस	प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं शुक्रवार को	इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह के किसी एक बुधवार या शुक्रवार को सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर ₹०एन०एम० बहनों द्वारा गर्भवती महिलाओं को १४०, ०-५ वर्ष के बच्चों को टीकाकरण किया जाता है साथ ही साथ सभी महिलाएँ, किशोरियों को साफ-सफाई एवं स्वच्छता की जानकारी दी जाती है। इस दिन आशा बहनों द्वारा महिलाएँ एवं किशोरियों को टीकाकरण, स्वच्छता, पोषण से संबंधी जानकारी दी जाती है।
04	परिवार नियोजन	नियमित	इस योजना के अंतर्गत दो तरह की सुविधाएँ दी जाती है— 01. स्थायी विधि— इसके अंतर्गत पूरुष नसबंदी एवं महिला बंध्याकरण जिला अस्पताल, एफ०आर०य०० एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमित रूप से किया जाता है। इसके अंतर्गत पूरुष नसबंदी में 2000 रु० एवं महिला बंध्याकरण पर 1400 रु० की प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसमें वैसी महिलाएँ जो प्रसव के साथ ही बंध्याकरण किया जाता है तो 2200 रु० की प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाती है। 02. अस्थायी विधि— इस योजना के तहत परिवार नियोजन के सफल करने हेतु कंडोम, व्हांस च्यससेए म्ब च्यससे आशा बहनों द्वारा घर-घर सुविधाएँ दी जाती है। साथ ही साथ जिला अस्पताल, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर ₹०एन०एम० बहनों द्वारा ज्ब एवं च्यन्ज्ब की सुविधाएँ दी जाती है।
05	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	नियमित	इस योजना के अंतर्गत नियमित रूप से जिले के सभी स्कूलों एवं ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर ०-१८ वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाता है।

06	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	नियमित	इस योजना के अंतर्गत 10 से 19 वर्ष के सभी किशोर एवं किशोरीयों को नियमित रूप से प्ल्यू की गोली खिलाई जाती है एवं प्रत्येक 06 माह पर क्रिमी की दवा दी जाती है। साथ ही साथ आशा बहनों द्वारा सभी किशोरीयों को 06 रु0 की दर से 'मदजतल चंक उपलब्ध कराया जाता है।
07	विटामिन ए कार्यक्रम	छमाही	इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक छ: माह पर जिले के सभी 09 माह से 05 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक आशा बहनों द्वारा घर-घर जा कर पिलाई जाती है।
08	पल्स पोलियों	——	इस योजना अंतर्गत 0-5 वर्ष के सभी बच्चों को प्रति वर्ष 04 से 05 बार पोलियों की दवा घर-घर जा कर पिलाई जाती है।
09	आयोडिन कार्यक्रम	नियमित	इस योजना के तहत आशा बहनों द्वारा घर-घर नमक जॉच किया जाता है एवं आयोडिन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है।
10	एकीकृत रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम	नियमित	इस योजना के अंतर्गत जल जनित एवं संचारी रोग का मुल्यांकण एवं अनुश्रवण किया जाता है।
11	राष्ट्रीय कुट्ट निवारण कार्यक्रम	नियमित	इस योजना के अंतर्गत आशा बहनों द्वारा रोगी को खोज किया जाता है एवं इसका नियमित इलाज जिला अस्पताल एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किया जाता है। साथ ही साथ कुट्ट मरीजों को विशेष रूप से तैयार किया हुआ जूता एवं चप्पल वितरण किया जाता है।
12	राष्ट्रीय यक्षमा नियंत्रण कार्यक्रम	नियमित	इस योजना के अंतर्गत टी०बी० के मरीजों को नियमित इलाज किया जाता है, जिसमें आशा बहनों द्वारा वैसे मरीजों को 06 माह तक लगातार दवा खिलाई जाती है। दवा कोर्स के समाप्ति पर आशा को 200 रु0 प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
13	नेशनल भेक्टर बोर्न डिजिज प्रोग्राम	नियमित	इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 05 बिमारीयों मलेरिया, फ्लेरिया, चिकनगुनीया, कालाजार एवं डेंगू का इलाज जिला अस्पताल एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ इन रोगों से बचाव हेतु समय-समय पर छिड़काव सभी गाँवों में किया जाता है।